आदेश क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)कौशल राम पिता-स्व0 सरजू राम (2)रमनी देवी, पति-स्व0 रामेश्वर राम उर्फ रामे राम, ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-641, 642, रकवा-1.50डी0, 02डी0 कुल रकवा-3.50 डी0 भूमि किशुनी देवी, पति-बद्री बैठा, ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 430/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता किशुनी देवी एवं विक्रेता कौशल राम वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति के पश्चात आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.73.64 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं रंजन भूइयां वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 30/I पर रंजन भूइयां वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता कौशल राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2017/1427216 दिनांक 20.10.2017 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2017/1346164 दिनांक 04.10.2017 और क्रेता किशुनी देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/325184 दिनांक 18.08.2021 एवं अंचल

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/65050 दिनांक 27.01.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-641, 642, रकवा-1.50डी0, 02डी0 कुल रकवा-3.50 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.08 17:47:08 +05:30
Location: 192.168.0.117